समाहरणालय, अरवल
(मद्य निषेध शाखा)

बिहार मद्य–निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की नीलामी की आम सूचना संख्या–(01/2021–22)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे वाहन जिन्हें मद्य–निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के तहत मद्य निषेध विभाग एवं थाना द्वारा जप्त किया तथा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, अरवल द्वारा राज्यसात किया गया है, की जंग लग कर खराब होने, क्षरण होने से राष्ट्रीय क्षति की संभावना है। ऐसे निम्नलिखित वाहन जो जिला के विभिन्न थाना/उत्पाद मालखाना में संचित हैं, की "जहाँ है जैसा है" के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इंडोर स्टेडियम में दिनांक–28.06.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में नीलामी की जाएगी। वाहनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :–

क0सं0	न्यायालय अधिहरण वाद संख्या	उत्पाद वाद संख्या एवं थाना कांड संख्या	राजसात वाहन का निबंधन संख्या	राजसात वाहन का प्रकार	राजसात वाहन का न्यूतम निर्धारित मूल्य	वाहन भंडारण स्थल	अग्रधन की राशि 10% प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02 A/DM/2017	करपी थाना काण्ड संख्या–67/2017	BR-01BV-5778	हिरो होंडा मोटर साईकिल	RS.3000/-	करपी थाना में	300
2	अधिहरण वाद सं0–01/ DM/2017	कुर्था (मानिकपुर ओ0पी0) थाना कांड सं0–11/2017	UP-70BH-9881	बजाज डिस्कोभर मोटर साईकिल	RS.32000/-	कुर्था (मानिकपुर ओ0पी0) थाना में	3200
3	अधिहरण वाद सं0–35/ DM/2017	महेन्दिया थाना कांड सं0–74/2017	BR01BZ-1249	हिरो स्पलेंडर मोटर साईकिल	RS.16000/-	महेन्दिया थाना में	1600
4	अधिहरण वाद सं0–36/ DM/2017	वंशी थाना कांड सं0–21/2016	BR02 AG-0364	गलैमर मोटर साईकिल	RS.18000/-	वंशी थाना में	1800
5	अधिहरण वाद सं0–19/ DM/2017	कलेर थाना कांड सं0–15/2017	UP82T-2404	ट्रक	RS.410000/-	कलेर थाना में	41000
6	अधिहरण वाद सं0–34/ DM/2017	किंजर थाना कांड सं0–93/2017	BR56B-1508	टी0भी0एस0लुना मोटरसाईकिल	RS.10500/-	किंजर थाना में	1050
7	अधिहरण वाद सं0–02/ DM/2017	महेन्दिया थाना कांड सं0–15/2017	BR01L-2323	मारूती स्टीम	RS.30000/-	महेन्दिया थाना में	3000
8	अधिहरण वाद सं0–02/बी0 DM/2017	कलेर थाना कांड सं0–05/2017	HR-65-3667	टाटा–407	RS.90000/-	कलेर थाना में	9000
9	अधिहरण वाद सं0–37/ DM/2017	महेन्दिया थाना कांड सं0–62/2017	BR56A-4772	पैशन प्रों0 मोटर साईकिल	RS.15000/-	महेन्दिया थाना में	1500
10	अधिहरण वाद सं0–120/ DM/2020	रामपुर चौरम थाना कांड सं0–54/2019	BR25B-7170	गलैमर मोटर साईकिल	RS.24000/-	रामपुर चौरम में	2400
11	अधिहरण वाद सं0–110/ DM/2020	उत्पाद वाद सं0–393/2018	BR1K-7136	हिरो होंडा मोटरसाईकिल	RS.8000/-	उत्पाद कार्यालय में	800

12	अधिहरण वाद सं0–82 / DM/2019	उत्पाद वाद सं0–159 / 2018	JH09AP-9510	क्विड कार	RS.120000/-	समाहरणालय परिसर में	12000
13	अधिहरण वाद सं0–91 / DM/2019	महेन्दिया थाना कांड सं0–65 / 2018	HR55G4568	ट्रक	RS.320000/-	महेन्दिया थाना में	32000
14	अधिहरण वाद सं0–88 / DM/2019	किंजर थाना कांड सं0–10 / 2019	BR25P-9838	टेम्पु	RS.75000/-	किंजर थाना में	7500
15	अधिहरण वाद सं0–102 / DM/2019	किंजर थाना कांड सं0–17 / 2019	1.BR25C-1663	1. गलैमर मोटर साईकिल	RS.20000/-	किंजर थाना में	2000
16	अधिहरण वाद सं0–102 / DM/2019	किंजर थाना कांड सं0–17 / 2019	2.BR01BF-5519	2. गलैमर मोटर साईकिल	RS.18000/-	किंजर थाना में	1800
17	अधिहरण वाद सं0–35 / DM/2020	कुर्था थाना कांड सं0–15 / 2020	BR-1R-3163	सुजूकी मोटर साईकिल	RS.2000/-	कुर्था थाना में	200
18	अधिहरण वाद सं0–95 / DM/2019	कलेर थाना कांड सं0–29 / 2018	BR56A-5596	टेम्पु	RS.25000/-	कलेर थाना में	2500
19	अधिहरण वाद सं0–21 / DM/2017	कलेर थाना कांड सं0–21 / 2017	HR-47B-3292	ट्रक टाटा–1109	RS.370000/-	कलेर थाना में	37000
20	अधिहरण वाद सं0–90 / DM/2019	कलेर थाना कांड सं0–29 / 2017	HR56A-66 43	ट्रक	RS.380000/-	कलेर थाना में	38000
21	अधिहरण वाद सं0–94 / DM/2019	महेन्दिया थाना कांड सं0–77 / 2017	HR-39B-7235	टाटा–407	RS.130000/-	महेन्दिया थाना में	13000

निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। नीलामी हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की जाती है–

1. कोई भी इच्छुक व्यक्ति सूचीबद्ध सभी वाहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। परन्तु सभी वाहनों के लिए अलग–अलग आवेदन तथा सुरक्षित जमा की राशि आवेदक को जमा करनी होगी।
2. न्यूनतम निर्धारित मूल्य (MFP) से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
3. वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी–बारी से की जाएगी अर्थात एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे वाहन की नीलामी की जाएगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वाहन के न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि जमा करने के पश्चात् ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्रति वाहन अलग–अलग सुरक्षित राशि को बैंक ड्राफ्ट अथवा नाजरी रसीद के द्वारा नीलामी की तिथि के पूर्व जमा करना होगा। नीलामी के असफल व्यक्तियों को नीलामी की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात् सुरक्षित जमा राशि वापस कर दिया जाएगा।
5. आवेदन सीधे कार्यालय में नीलामी की तिथि से दो दिन पूर्व (26.06.2021 तक) सुरक्षित राशि के साथ जमा किये जा सकते है। आवेदन का प्रपत्र जिला के वेबसाईट arwal.nic.in से डाउनलोड कर वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन Email ID-arwal-excise@nic.in पर भी नीलामी की तिथि से दो दिन पूर्व कार्य दिवस तक प्रेषित किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन की स्थिति में सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य ही कार्यालय में जमा कर दिया जायगा अन्यथा उनका आवेदन निरस्त करते हुए शेष आवेदकों के साथ नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।
6. नीलामी की प्रक्रिया में सफल व्यक्ति को वाहन प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
7. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में नगद जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर द्वितीय / अगले उच्चतम बोली वाले व्यक्ति को सफल अंतिम व्यक्ति माना जाएगा।
8. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।

9. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा राशि एकमुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनकी सुरक्षित राशि जप्त कर ली जाएगी। इसके निर्णय हेतु नीलामीकर्त्ता का निर्णय अंतिम होगा।

10. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्त्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

11. नीलामी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के नियोजित/सरकारी कर्मी भाग नहीं लेगे।

12. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन हस्तांतरित कराना होगा। नीलामीकर्त्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसके किसी भी बिन्दु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

13. अपने विवेक से बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सभी वाहनों की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय नीलामीकर्त्ता सुरक्षित रखता है, तथा यह निर्णय अंतिम होगा।

14. संबंधित वाहन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायालय से प्राप्त किसी आदेश की सूचना नीलामी की निर्धारित तिथि से पूर्व दिवस तक विधि प्रशाखा, समारणालय, अरवल/ कार्यालय, अधीक्षक मद्य निषेध, अरवल को दे दिए जाने पर ही उसकी नीलामी रोकने से सम्बन्धित आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। नीलामी की तिथि अथवा उसके पश्चात् प्राप्त कोई भी दावा अमान्य होगा तथा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी कार्य दिवस में वाहन का भौतिक अवलोकन संबंधित संचय स्थल में किया जा सकता है, तथा विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक, मद्य निषेध, अरवल के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। मोबाईल नं0 6287850240 पर कार्यालय अवधि 10.00 बजे से 5.00 बजे शाम तक अथवा **arwal.nic.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

14/6

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी,
अरवल ।